

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8492/2021	1(a)	क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
2.	8099/2021	1(a)	मार्बल खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	10022/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
4.	10185/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	9253/2022	1(a)	ऑकर, व्हाइट अर्थ एवं बॉक्साइट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	10079/2023	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
7.	10361/2023	1(a)	पत्थर, बोल्डर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	10364/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
9.	10356/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
10.	10332/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
11.	10342/2023	1(a)	मैगनजी ऑर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
12.	9781/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	8993/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
14.	9356/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	9466/2022	1(a)	मार्बल खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	9475/2022	1(a)	मार्बल खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	10365/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
18.	10446/2023	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
19.	10444/2023	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 809वी बैठक दिनांक 04.10.2023
का कार्यवाही विवरण

20.	10447/2023	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
21.	10360/2023	1(a)	पत्थर, एम.सेण्ड एवं मुरुम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
22.	10380/2023	1(a)	क्वार्टज एवं फेल्सपार खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
23.	9858/2023	1(a)	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
24.	9642/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
25.	6127/2019	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
26.	9651/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
27.	9710/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
28.	8883/2021	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
29.	9929/2023	1(b)	कोलबेड मीथेन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
30.	9241/2022	3(b)	सीमेन्ट ग्राइंडिंग यूनिट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	जनसुनवाई प्रक्रिया उपरांत

1. प्रकरण क्र. 8492/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री बृजेश सोनी आत्मज श्री बाबूलाल सोनी, निवासी छोटी देवी मंदिर के पास, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) द्वारा क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 15,000 से 3,00,000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 993/2 ग्राम दरगवां, तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन कर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रमाणित करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हों। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 8099/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, इटालियन मार्बल, पार्टनर श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी गौतम मोहल्ला, जालपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म0प्र0) द्वारा मार्बल खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14,029 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 406, 417, ग्राम पोंडी, तहसील धीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 673वी बैठक दिनांक 23.08.2023 एवं 548वी बैठक दिनांक 10.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, इटालियन मार्बल, पार्टनर श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी गौतम मोहल्ला, जालपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म0प्र0) द्वारा मार्बल खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14,029 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 406, 417, ग्राम पोंडी,


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

तहसील धीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.) को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 11.11.2014 अनुसार उक्त लीज की अवधि दिनांक 16.12.2003 से 15.12.2033 तक स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.12.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

3. प्रकरण क्र. 10022/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल मीणा आत्मज श्री घनश्याम मीणा, निवासी ग्राम बैरागढ़, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,889 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 784/1 ग्राम कांकरिया, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निर्णय लिया गया कि अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र के चारों ओर कृषि भूमि परिलक्षित है तथा खनिज का परिवहन किस मार्ग से किया जायेगा परिलक्षित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन मार्ग का मैप तैयार कर 15 दिवस में प्रस्तुत करें साथ ही परिवहन मार्ग में आ रही निजी भूमि के भू-स्वामियों की सहमति एवं अनुबंध भी प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 10185/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री बालाजी माइंस एंड मिनरल्स, पार्टनर श्री रोहित यादव, निवासी 975, अक्षय रसेल चौक, नेपियर टाउन, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर-7,250 एम-सेण्ड-16,920 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 93पी ग्राम खुर्सी, तहसील जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान पहाड़ पर स्थित है तथा वन क्षेत्र आर.एफ. क्र. 173 से लगभग 5 मीटर दूर है। अतः प्रकरण में पर्यावरण संवेदनशीलता व प्रस्तावित खदान वर्जिन पहाड़ी पर होने के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. प्रकरण क्र. 9253/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाइ कंपनी, पार्टनर, श्री सुरेन्द्र सिंह सलूजा, निवासी 26/52, मढ़ई का बगीचा, बी.डी. अग्रवाल वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा आकर, व्हाइट व बाक्सईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बाक्सईट 44414 टन प्रतिवर्ष, आकर 4224 टन प्रतिवर्ष एवं आवेर वर्डन 7634 टन प्रतिवर्ष, रकबा 5.005 खसरा नंबर 9, 4/1, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 50, ग्राम – घटानिया, तहसील – मझगवां, जिला सतना (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 673वी बैठक दिनांक 23.08.2023 एवं 548वी बैठक दिनांक 10.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से दोनो ओर न्यूनतम 50-50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्टले बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यो हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाइ कंपनी, पार्टनर, श्री सुरेन्द्र सिंह सलूजा, निवासी 26/52, मढ़ई का बगीचा, बी.डी. अग्रवाल वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा आकर, व्हाइट व बाक्सवुड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बाक्सवुड 44414 टन प्रतिवर्ष, आकर 4224 टन प्रतिवर्ष एवं आवेर वर्डन 7634 टन प्रतिवर्ष, रकबा 5.005 खसरा नंबर 9, 4/1, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 50, ग्राम – घटानिया, तहसील – मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 03.06.2022 अनुसार उक्त लीज की अवधि दिनांक 06.10.2012 से 05.10.2032 तक स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.10.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र. 10079/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सोम गर्ग, निवासी 213, क्लक कॉलोनी, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 66229 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 खसरा नंबर 131/1/1/2, ग्राम – देपालपुर, तहसील – देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

प्रकरण सेक की 673वीं बैठक दिनांक 18/03/23 एवं 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 10361/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अलायंस एसोसियेट, निवासी – विला 250ए, लोटस सिटी, पन्ना रोड़, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 260300 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.50 खसरा 311, ग्राम – गुनईखालसा, तहसील – उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10364/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक मिश्रा आत्मज श्री रामसंजीवन मिश्रा, निवासी मकान न. 235, बछौन, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 खसरा 02पी, ग्राम - खैराही, तहसील - चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

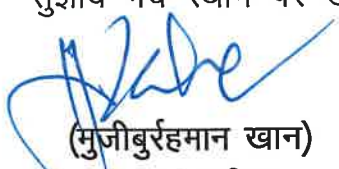


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 10356/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अरुण प्रताप सिंह आत्मज श्री रंजीत सिंह राजपूत, निवासी स्नेह नगर, मधुकर शाह वार्ड, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30019 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 खसरा 1014, ग्राम – लुहारी, तहसील – सागर, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10332/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद सिंह राजपूत आत्मज श्री गुलाब सिंह राजपूत, निवासी स्नेह नगर, मधुकर शाह वार्ड, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30019 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 खसरा 271, ग्राम – मुडिया कलरई, तहसील – सागर, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- X. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

11. प्रकरण क्र. 10342/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका, प्रो. श्री आनंद गोयनका, निवासी गोयनका भवन, स्टेशन रोड़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा मैगनजी ऑर माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 3430 टन प्रतिवर्ष से 13580 टन प्रतिवर्ष, रकबा 8.10, खसरा 523/1, 523/2, 523/3, ग्राम – पौनिया, तहसील – कंटगी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए प्रतिवेदन के साथ पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रमाणित करवाकर अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

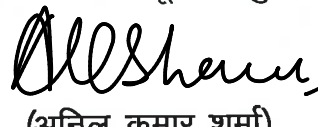

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 9781/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जत हमीद आत्मज श्री जत मूसा, निवासी ग्राम भन्नी, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा मैगनीस ऑर माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45129 घन प्रतिवर्ष, रकबा 3.444, खसरा 694/2/ख, 695/1, 694/3/ख, ग्राम – भन्नी, तहसील – ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

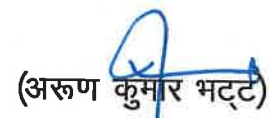
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री जत हमीद आत्मज श्री जत मूसा, निवासी ग्राम भन्नी, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा मैगनीस ऑर माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45129 घन प्रतिवर्ष, रकबा 3.444, खसरा 694/2/ख, 695/1, 694/3/ख, ग्राम - भन्नी, तहसील - ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल द्वारा आदेश क्र. 2119 दिनांक 17.07.2020 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.07.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्रमांक 8993/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र सिंह, निवासी - मकान न. 752 जखोरा, तहसील एवं जिला ललितपुर (उ.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 443/1, रकबा 03.292 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-23,256 मी.3, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें सिर्फ सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर हैं किन्तु अन्य ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक उक्त ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव के पंजीयन रजिस्टर जिसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं की प्रति प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

14. प्रकरण क्र. 9356/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश गुप्ता आत्मज श्री बी.एम. गुप्ता, निवासी एफ-88/35, तुलसी नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.10, खसरा 148, ग्राम - रामपुरघोसी, तहसील - गौरीहर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में सघन वृक्षा रोपण किया जावेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश गुप्ता आत्मज श्री बी.एम. गुप्ता, निवासी एफ-88/35, तुलसी नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

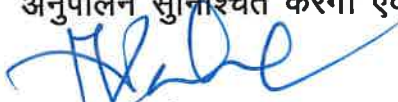
प्रतिवर्ष, रकबा 2.10, खसरा 148, ग्राम – रामपुरघोसी, तहसील – गौरीहर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 15772 दिनांक 26.12.2020 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

15. प्रकरण क्र. 9466/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हीरा मार्बल, पार्टनर श्री अभिषेक शर्मा, निवासी ब्रम्हपुरी मोहल्ला, ओल्ड सिटी किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) द्वारा मार्बल खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता मार्बल 4000 व सेलेबल वेस्ट 16000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 4.00, खसरा 539/5, 539/6, 580/2, 565, ग्राम – पपरेडी, तहसील – ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) शहडोल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले शेड एवं सरंचना से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 22 वृक्षों में से काटे जाने वाले 12 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 120 पौधों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।
- (v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हीरा मार्बल, पार्टनर श्री अभिषेक शर्मा, निवासी ब्रम्हपुरी मोहल्ला, ओल्ड सिटी किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) द्वारा मार्बल खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता मार्बल 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष व सेलेबल वेस्ट 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00, खसरा 539/5, 539/6, 580/2, 565, ग्राम – पपरेडी, तहसील – ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 11804 दिनांक 05.09.2022 अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.09.2052 तक वैध मान्य रहेगी।

16. प्रकरण क्र. 9475/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हीरा मार्बल, पार्टनर श्री अभिषेक शर्मा, निवासी ब्रम्हपुरी मोहल्ला, ओल्ड सिटी किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) द्वारा मार्बल खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता मार्बल 4000 व सेलेबल वेस्ट 16000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 4.00, खसरा 537/2, 539/2, 539/3, 539/4, ग्राम – पपरेडी, तहसील – ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) शहडोल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसहाट एवं शेड एवं सरंचना से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हीरा मार्बल, पार्टनर श्री अभिषेक शर्मा, निवासी ब्रम्हपुरी मोहल्ला, ओल्ड सिटी किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) द्वारा मार्बल खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता मार्बल 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष व सेलेबल वेस्ट 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00, खसरा 537/2, 539/2, 539/3, 539/4, ग्राम - पपरेडी, तहसील - ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 11807 दिनांक 05.09.2022 अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.09.2052 तक वैध मान्य रहेगी।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

17. प्रकरण क्र 10365/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विमलेश द्विवेदी आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी सीताराम कॉलोनी, काली माता मंदिर के पीछे, जिला छतरपुर (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 02पी, ग्राम – खैराही, तहसील – चंदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वीं बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्विपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रिब्यूट किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. Case No 10446/2023: Environment Clearance for Proposed construction of Residential Building Project Under PMAY "Satpura Parisar" in an area of 6.59 ha. (10,8015 Sq.m.) (Khasra No. 242/1, 242/2/1, 424/236/3), Village-Barawagrada, Buraniya, Devdharam, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP) Total Built up Area – 10,8015 sq.m.by Shri Mahesh Sharma, Superintending Engineer, Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007, Cat. 8(a) Building Construction Projects.

1. उक्त प्रकरण "सतपुड़ा परिसर" प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय भवन परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लंघन के पश्चात् पर्यावरण स्वीकृति का है। परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत विचाराधीन है।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674 वीं बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृ.क्र. 47 से 51 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- I. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- II. साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- III. परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करे। चल रहे समस्त निर्माण कार्य तत्काल बंद करे।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैधानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लंघन की पुनरावृत्ति नहीं करेगा
- V. प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित निर्माणाधीन परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- VI. प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- VII. परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
- VIII. भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करें।
- IX. चूंकि परियोजना स्थल पहाड़ी से लगा हुआ है अतः पहाड़ी के स्लोप से एकत्रित वर्षा के जल के संचय हेतु प्रावधान निर्धारित कर EIA रिपोर्ट में शामिल करें।
- X. परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिकतम सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास का उल्लेख करे।
- XI. परियोजना प्रस्तावक स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की क्षमता और संचयन की जाने वाली मात्रा के संबंध में गणना ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।
- XII. चूंकि परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है अतः उल्लंघन (Violation) के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 28.01.2022 अनुसार परियोजना में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित व्यय का प्रमाण पत्र ईआईए के साथ संलग्न करें। जिसके आधार पर दंडिक राशि का निर्धारित किया जा सके।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. Case No 10444/2023: Environment Clearance for Residential Building Project Under PMAY "Palash Parisar Part-2" in an area of 7.665 ha. (107770.16 Sq.m.) (Khasra No. 1001/2, 1020, 1, 4), Village-Machla, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [419687] Total Built up Area – 107770.16 Sq.m Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007., Cat. 8(a) Building Construction Projects.

1. उक्त प्रकरण "पलाश परिसर भाग -2" प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय भवन परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लंघन के पश्चात् पर्यावरण स्वीकृति का है। परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत विचाराधीन है।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674 वीं बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृ.क्र. 51 से 55 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- I. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- II. साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- III. परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करे। चल रहे समस्त निर्माण कार्य तत्काल बंद करे।
- IV. साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैधानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लंघन की पुनरावृत्ति नहीं करेगा
- V. प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- VI. प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

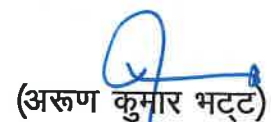
- करेगा। साथ ही नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- VII. परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
- VIII. भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करें।
- IX. चूंकि परियोजना स्थल पहाड़ी से लगा हुआ है अतः पहाड़ी के स्लोप से एकत्रित वर्षा के जल के संचय हेतु प्रावधान निर्धारित कर EIA रिपोर्ट में शामिल करें।
- X. परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिकतम सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास का उल्लेख करे।
- XI. परियोजना प्रस्तावक स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की क्षमता और संचयन की जाने वाली मात्रा के संबंध में गणना ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।
- XII. चूंकि परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है अतः उल्लंघन (Violation) के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 28.01.2022 अनुसार परियोजना में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित व्यय का प्रमाण पत्र ईआईए के साथ संलग्न करें। जिसके आधार पर दंडिक राशि का निर्धारित किया जा सके।

20. Case No 10447/2023: Environment Clearance for Proposed construction of Residential Building Project Under PMAY "Aravalli Parisar" in an area of 8.027 ha. (81211.655 Sq.m.) (Khasra No. 1/1/1), Village-Bhichaulihapsi Tehsil & District-Indore (MP) Total Land Area – 130400.00 sq.mt. Total Built up Area – 81211.655 sq.m., by Shri Mahesh Sharma, Superintending Engineer, Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007. Cat. 8(a) Building Construction Projects.

- उक्त प्रकरण "अरावली परिसर" प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय भवन परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लंघन के पश्चात् पर्यावरण स्वीकृति का है। परियोजना का 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत विचाराधीन है।
- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674 वीं बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृ.क्र. 56 से 60 पर अंकित है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- I. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- II. साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- III. परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करे। चल रहे समस्त निर्माण कार्य तत्काल बंद करे।
- IV. साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैधानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लंघन की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- V. प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- VI. प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- VII. परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
- VIII. भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करें।
- IX. चूंकि परियोजना स्थल पहाड़ी से लगा हुआ है अतः पहाड़ी के स्लोप से एकत्रित वर्षा के जल के संचय हेतु प्रावधान निर्धारित कर EIA रिपोर्ट में शामिल करें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- X. परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिकतम सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास का उल्लेख करे।
- XI. परियोजना प्रस्तावक स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की क्षमता और संचयन की जाने वाली मात्रा के संबंध में गणना ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।
- XII. चूंकि परियोजना का 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है अतः उल्लंघन (Violation) के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 28.01.2022 अनुसार परियोजना में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित व्यय का प्रमाण पत्र ईआईए के साथ संलग्न करें। जिसके आधार पर दंडिक राशि का निर्धारित किया जा सके।

21. प्रकरण क्र 10360/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री तुलसीराम गौंड आत्मज श्री ग्यारसी गौंड, निवासी ग्राम हाथखोह, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पत्थर, एम सेंड एवं मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 8957, एम सेंड 8957 एवं मुरुम 6493 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हे., खसरा 01, ग्राम - छेवला, तहसील - देवरी, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

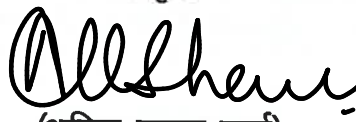
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र 10380/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दृष्टि माईनिंग, श्री अनिल गुप्ता, निवासी ई-7/626, अरेरा कालोनी, आर.एस. नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र) द्वारा क्वार्टज व फेल्सपार खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 95000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.475 हे., खसरा 210, 211, 212, 213, 214, 222, ग्राम - सबदलपुर, तहसील - दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. प्रकरण क्र 9858/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वीर दुर्गादास मिनरल्स प्रा.लि. निवासी राठौर हाउस, एफ.सी.आई. गोडाउन के पास, चंदेरिया, छितौड़गढ़ (राजस्थान) लाईमस्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 500010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 221.043 हे., खसरा माईनिंग लीज अनुसार, ग्राम – सुवाखेड़ा एवं खेड़ा राठौर, तहसील – जावद, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

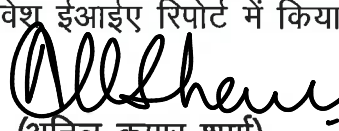
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निर्णय लिया गया कि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर माईनिंग लीज 11 भागों में विभक्त है एवं खदान से लगी हुई आबादी व पक्की सड़क परिलक्षित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार यह भी गूगल ईमेज में चिह्नित नहीं किया गया है कि कौन से ब्लॉक किस नम्बर है जिसमें खनन किया जायेगा। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत होवे।

24. प्रकरण क्र 9642/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती राजाबेटी आदिवासी पत्नि श्री सुनील आदिवासी, निवासी 61, नीमछडौहा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.40 हे., खसरा 950पी, ग्राम – जखौदा, तहसील – घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

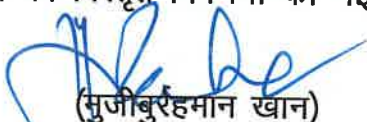
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्विपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू हैं की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

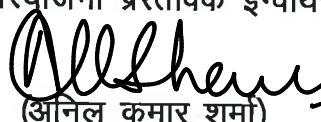
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र 6127/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार आत्मज श्री रामरतन लोहार, निवासी ग्राम अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 512, ग्राम – अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की ईआईए में इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं क्लस्टर मैनेजमेन्ट प्लान की विस्तृत विवेचना की गई। अतः परियोजना प्रस्तावक इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं क्लस्टर


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मैनेजमेन्ट प्लान सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हों।

26. प्रकरण क्र 9651/20203 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स टी.एन.सी. इंटरप्राइजेज, अधिकृत व्यक्ति, श्री रोहित अग्रवाल, निवासी 24, एम्पायर स्टेट, इंदौर बायपास, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 50000 व एम सेंड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.980 हे., खसरा 440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462, 455, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की ईआईए में इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान की विस्तृत विवेचना की गई। अतः परियोजना प्रस्तावक इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हों।

27. प्रकरण क्र 9710/20203 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी.ए. प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री बने सिंह ठाकुर, निवासी 158, कंचन बागर, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व एम सेंड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 510, 511/1, 511/2, 514 – 515/1, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

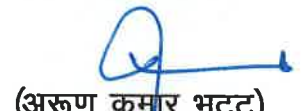
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की ईआईए में इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान की विस्तृत विवेचना की गई। अतः परियोजना प्रस्तावक इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हों।

28. प्रकरण क्र 8883/20201 परियोजना प्रस्तावक श्री हिरदेश पाठक, निवासी ग्राम हामा, पोस्ट निवाड़ी, जिला छतरपुर (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.0 हे., खसरा 189/1, ग्राम – गंजसिजरी, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण आज सेक की 678वीं बैठक दिनांक 13/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त प्रकरण SEAC में ही निर्णय हेतु विचाराधीन है। अतः प्रकरण को SEAC की अनुशंसा अनुसार यथावत रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

29. Case No 9929/2023: Prior Environment Clearance for drilling of 25 nos. of Coalbed Methane (CBM) Exploration in Block SP-ONHP(CBM)-2021/1 (Satpura CBM Block), Madhya Pradesh. Districts Covered: Spread across Chhindwara, Betul and Hoshangabad (No exploratory drilling proposed in Hoshangabad) by M/s. Invenire Petrodyne Ltd, 611, Reliabels Pride, Anand Nagar, Jogeshwari (W) Mumbai - 400102.

प्रकरण पर 801 SEIAA बैठक दिनांक 17.08.23 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 663 वीं बैठक दिनांक 27.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया कि चूंकि परियोजना 25 कोलबेड मिथेन (CBM) exploratory corehole/test wells ड्रिलिंग के लिए प्रस्तावित है, जो की काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है एवं इसमें किसानों की निजी भूमि भी शामिल है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना में किसानों के जमीन सम्बंधित लीज की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय दृष्टिगत की गई प्रस्तावित व्यवस्था के स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे। ”

उपरोक्त निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णेंदु चटर्जी मेसर्स इनवेनियर पेट्रोडाइन लिमिटेड एवं मेसर्स कदम पर्यावरण सलाहकार श्री समीर कदम प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना सम्बंधित जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

1. उक्त प्रकरण ब्लॉक एसपी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2021/1 (सतपुड़ा सीबीएम ब्लॉक), में कोलबेड मिथेन (सीबीएम) Exploration corehole/test wells के लिए 25 नग ड्रिलिंग हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. यह एक “ग्रीनफील्ड” श्रेणी की परियोजना है, जिसमें fresh Exploration गतिविधियाँ (कोरहोल्स/टेस्टवेल्स) शामिल हैं। EIA नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार परियोजना को अनुसूची 1(बी) के अंतर्गत अपतटीय/तटीय तेल और गैस अन्वेषण, विकास और उत्पादन में शामिल किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.01.2020 के अनुसार ऑफ-शोर और ऑनशोर तेल और गैस अन्वेषण को ‘श्रेणी बी 2’ परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 663 वीं बैठक दिनांक 27.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 49 से 61 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार की जानकारी संतोषप्रद पायी गयी एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 663 वीं बैठक दिनांक 27.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पूर्ण रूप से EMP में प्रस्तावित सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।
- (ii) ड्रिलिंग कार्य पूरा होने के बाद, यदि हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति देखी जाती है, तो हाइड्रोकार्बन की व्यावसायिकता स्थापित करने के लिए कुएं का परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे।
- (iii) ड्रिलिंग के कारण उत्सर्जित पानी के साथ संभावित हैवी मेटल के निष्पादन हेतु पर्याप्त सावधानी रखी जावे एवं उसका निष्पादन TSDF में किया जावे। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
- (iv) यदि वाणिज्यिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति सिद्ध होती है तो उस स्थिति में भूमि के स्थायी/दीर्घावधि पट्टा अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया किया जावे। इस प्रकार परियोजना के पूरा होने के बाद जितना संभव हो सके भूमि मालिकों की संतुष्टि अनुसार भूमि को उसकी मूल स्थिति में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (v) जल निकायों से 500 मीटर के भीतर एवं संरक्षित क्षेत्र कोई भी ड्रिलिंग गतिविधि नहीं की जाएगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक ड्रिलिंग गतिविधि से उत्पन्न नॉइज़ (शोर) पर नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध करे।
- (vii) वाणिज्यिक ड्रिलिंग हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पृथक से पर्यावरण स्वीकृति हेतु पृथक से आवेदन करना होगा। यह स्वीकृति मात्र कोबैड मीथेन एक्सप्लोरेशन हेतु है।
- (viii) ड्रिलिंग हेतु बेस्ट प्रैक्टिस का इस्तमाल किया जावे एवं पूरा ऑपरेशन सुग्राहिता के साथ किया जावे। भू-जल में प्रदूषण की संभावना उत्पन्न न हो ऑपरेशन सतत निगरानी में किया जावे।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक/कम्पनी द्वारा आगशमन के ठोस इंतजाम सुनिश्चित किये जावें ताकि ईंधन अथवा भू-गैस के कारण आग न लगे।
- (x) ईंधन या तेल के कारण भू-प्रदूषण न फैले इस हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जावें।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रेषित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 663 वीं बैठक दिनांक 27.07.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु 1 से ix को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

30. **Case No. - 9241/2022** Environment Clearance for Cement Grinding Unit, Capacity-300TPD (Ball Mill 3X100 TPD) at E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Tehsil Jaura, Dist. Morena, (MP) by M/s J.P. Minerals Industries, through Smt. Renu Bansal, Prop., E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist. Morena, MP – 476001 Env't. Consultant: M/s. Ascenso Enviro Private Limited

उक्त प्रकरण पर SEIAA की 795 बैठक दिनांक 17.07.23 में विचार करते हुए निर्णय लिया गया था :-

औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के जनसुनवाई में छूट (Exempt) के संबंध में चर्चा के दौरान MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन J-11011/321/2016-IA.II(I) दिनांक 27.04.2018 में वर्णित योजनाओं में जनसुनवाई से छूट प्रदान नहीं किये जाने का लेख है का अवलोकन किया गया। उक्त ज्ञापन में सीमेन्ट प्लांट का उल्लेख भी छूट नहीं दी जाने वाले उद्योगों की श्रेणी में है।

प्राधिकरण में चर्चा के दौरान यह पाया कि प्रश्नाधीन परियोजना पूर्णतः सीमेन्ट प्लांट नहीं है यह मात्र एक ग्राइंडिंग यूनिट है जिसे सीमेन्ट प्लांट की श्रेणी में मानना उचित नहीं होगा। परियोजना प्रस्तावक को SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा करते समय SEAC ने इसका भी परीक्षण किया होगा। अतएव इस आधार पर लोक सुनवाई आवश्यक प्रतीत नहीं हो रही है।

इस सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भी पत्र के माध्यम से सूचित कर मार्गदर्शन/स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार SEIAA द्वारा प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से पत्र दिनांक 25.09.23 जो की 03.10.23 को SEIAA कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त प्रकरण में जन -सुनवाई से छूट नहीं दिया जाना निर्देशित है। अतः उक्त निर्देशन के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया की परियोजना प्रस्तावक को सूचित करते हुए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जन सुनवाई की कार्यवाही हेतु पत्र लिखा जाये तथा SEAC को भी पत्र की कॉपी प्रेषित कर भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों पर निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जाये। चूँकि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक ग्यारंटी जमा नहीं करने के कारण पर्यावरण स्वीकृति नहीं जारी की गई है, अतः प्रक्रियानुसार जन सुनवाई उपरांत, कार्यवाही विवरण को शामिल करते हुए पुनरीक्षित ईआईए प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रित खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छा:माही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

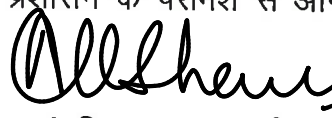

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ट दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष